

झारखण्ड सरकार
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए फार्म

इस संस्थान (नाम) जीवन
विस्तृत पता बस्ताकोला, धनसार, धनबाद, झारखण्ड
..... के प्रबंधक, (जिसे इसके पश्चात् पंजीकरण प्रमाण-पत्र का धारक कहा गया है) को
इसके द्वारा 23-05-2016 से 22-05-2022 तक (दोनों दिन
शामिल) की अवधि के दौरान उक्त संस्थान की स्थापना अनुरक्षण के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र
निःशक्तता (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण तथा संपूर्ण भागीदारी) के अधिनियम, 1995 तथा उसके
नियमों के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत जारी आदेश के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है,
अर्थात् :-


1. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक संस्थान आवासियों को ये सुविधाएं प्रदान करेगा :-
 - (क) पौष्टिक एवं पर्याप्त भोजन
 - (ख) पर्याप्त आवास-स्थान एवं स्वच्छता
 - (ग) उपयुक्त स्वास्थ्य देख-भाल एवं उपचार
 - (घ) मनोरंजन की सुविधाएं
 - (ङ) शिक्षा एवं व्यवसायिक या रोजगार प्रशिक्षण
2. लड़कियों के लिए आवासीय परिसर लड़कों के आवासीय परिसर से अलग होंगे।
3. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक न तो स्वयं और न ही किसी अन्य व्यक्ति को तथा संस्थान के आवासी को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए लगाएगा।
4. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक एक दंड रजिस्टर रखेगा तथा ऐसी स्थिति में उसमें दर्ज करेगा:-
 - (क) आवासी का नाम
 - (ख) दंड के कारण
 - (ग) दंड का स्वरूप तथा अवधि
5. प्रबंधक एक आगन्तुक पुस्तिका तैयार करवाएगा जिसमें संस्थान के निरीक्षण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्थान के निरीक्षण का अभिलेख रखा जाएगा। प्रबंधक, लाइसेंस प्राधिकारी को उक्त पुस्तिका में रिकार्ड अभियुक्तियां, यदि कोई है, की एक प्रति दौरे की तिथि से सात दिन के भीतर भेजेगा।

6. प्रबंधक आय तथा व्यय की लेखा-पुस्तिकाओं तथा उपभोज्य वस्तुओं की स्टॉक पुस्तिकाओं का रख-रखाव निर्धारित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित रूप में पुस्तकों तथा रजिस्ट्रों में करेगा।
7. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक सक्षम प्राधिकारी या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जाँच करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, जो निःशक्तता (समाज अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अनुसार होगा।
8. प्रमाण-पत्र, प्रबंधक के कार्यालय में स्पष्ट दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।
9. पदाधिकारी में किसी भी परिवर्तन की सूचना सक्षम अधिकारी को तत्काल दी जाएगी।
10. पंजीकरण प्रमाण-पत्र निःशक्तता (समाज अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र की शर्तों, नियमों तथा इसके अंतर्गत सभी आदेशों का पालन करेगा।

पंजीकरण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि संख्या 525 उपलब्ध कृपा से उपलब्ध अगले कदम में आसानी पाये जाये जो धारा-53(1)(b) में निहित अवधान के अन्तर्गत लेखा का निबंधन समाप्त कर दिया जाएगा।

निबंधन संख्या-55/2016-17

दिनांक : 23-05-2016


निदेशक
सक्षम प्राधिकारी
भारतखण्ड, रांची

नवीकृत

दिनांक से तक

सक्षम प्राधिकारी

नवीकृत

दिनांक से तक

सक्षम प्राधिकारी

नवीकृत

दिनांक से तक

सक्षम प्राधिकारी